

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1989-111/ 416

दिनांक :- 03.7.2018

आदेश संख्या:- 138/2018-19

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ.14(88)एफ.डी./रूल्स/2008 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिकों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 6 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल L-13 में स्वीकृत की जाती हैं।

क. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/ बैच नं.	लिक नम्बर	कनिष्ठ लेखाकार/ समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	दयाराम	25/89	8759	11.02.1991	11.02.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
2.	गणपत लाल बारोलिया	52/89	1661	11.02.1991	11.02.2018	
3.	रतन लाल खटीक	55/89	1875	11.02.1991	11.02.2018	
4.	गणपत लाल	60/89	1662	11.02.1991	11.02.2018	
5.	याद राम कोली	61/89	8819	11.02.1991	11.02.2018	
6.	मोहन लाल भंवरिया	72/89	3858	11.02.1991	11.02.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
7.	रामगोपाल रैगर	105/89	1883	27.02.1991	27.02.2018	
8.	राजेन्द्र कुमार चौहान	107/89	1885	11.02.1991	11.02.2018	
9.	हजारी लाल भील	109/89	2119	11.02.1991	11.02.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
10.	ओमप्रकाश कोली	117/89	4810	11.02.1991	11.02.2018	
11.	बाबू लाल घोषी	141/89	4464	11.02.1991	11.02.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
12.	हीरालाल बैन्दाडा	149/89	2136	11.02.1991	11.02.2018	
13.	शंभूदयाल बैरवा	161/89	5194	11.02.1991	11.02.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
14.	भंवर सिंह सिन्हा	183/89	4500	11.02.1991	11.02.2018	
15.	दयाराम	191/89	6082	11.02.1991	11.02.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
16.	धर्मसिंह भीणा	200/89	6083	11.02.1991	11.02.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
17.	महेन्द्र कुमार पठहीर	224/89	3904	11.02.1991	11.02.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
18.	भूराराम नारोलिया	227/89	4516	11.02.1991	11.02.2018	
19.	मिट्ठूलाल बुनकर	241/89	9046	11.02.1991	11.02.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
20.	हनुमान लाल बैरवा	243/89	2175	11.02.1991	11.02.2018	

21.	राजकुमार राजोरिया	250/89	1919	24.04.1991	24.04.2018	
22.	शिवदयाल बैरवा	265/89	5220	11.02.1991	11.02.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
23.	चन्द्रसिंह ढिंडवाल	292/89	4552	11.02.1991	11.02.2018	
24.	हंसराम	294/89	2179	11.02.1991	11.02.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
25.	नानगराम हेडिया	360/89	3938	24.06.1991	24.06.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय

उपरोक्त कम संख्या 1,6,9,11,13,15,16,17,19,22,24 एवं 25 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम के गत 07 वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14(2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें-

1. पुरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 6 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिकों की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1989-111/ 416

दिनांक :- 03.7.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. सहायक निदेशक (एपीएआर शाखा).....
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I.....
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक (एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली हेतु मूल आवेदन पत्र/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)